यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलुआकोठ, पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलुआकोठ, पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड के माह 04/ 2014 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच श्री भानु प्रताप सिंह , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं अनूप चौहान , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.2019 से 27.02.2019 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया।

भाग-1

परिचयात्मकः वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक उत्थान हेतु विद्यालय तथा आवासीय विद्यालय संचालित है जिसमे भोजन, लेखन सामाग्री, ड्रेस आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, इसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र है ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधि
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत /आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	-	-	80.36	72.31				
2017-18	-	-	83.21	81.29				
2018-19 (up to 01/2019)	-	-	75.54	52.02				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
	शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई (स) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन ⟶ निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन ⟶ प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलुआकोठ, पिथौरागढ़

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलुआकोठ, पिथौरागढ़ को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलुआकोठ, पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 04/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (DPC Act, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-1 आश्रम पद्यति विद्यालय में भोजन व्यवस्था तथा सामग्री संपूर्ति पर ₹55.72 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के बावजूद शिक्षकों के अभाव में शिक्षण कार्य बाधित रहना।

राजकीय आश्रम पद्यति उच्चतर माद्यमिक विद्यालय, बलुआकोट, पिथौरागढ़ के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि विद्यालय स्तर पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिकांश पद निम्नानुसार रिक्त पड़े हुए थे:

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पदों संख्या	कार्यरत पदों संख्या	रिक्त पदों संख्या	टिप्पणी
1	प्रधानाचार्य	01	0	01	प्रधानाचार्य के पद का अतिरिक्त प्रभार राजकीय आश्रम पद्यति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोठी, हाल बलुआकोट के प्रधानाचार्य को निहित है।
2	सहायक अध्यापक (एल टी)	09	0	09	संविदा पर दो अध्यापक तैनात हैं तथा माह फरवरी, 2019 से सहायक अध्यापिका कला (एल टी) को दूसरे विद्यालय से इस विद्यालय से सम्बद्ध किया गया है।
3	सहायक अध्यापक (एच टी सी)	04	0	04	-
4	गृहमाता	01	01	0	-
5	वरिष्ठ सहायक	01	0	01	-
6	कनिष्ठ सहायक	01	0	01	-
योग		17	01	16	-

उपरोक्त तालिका में दिये गए विवरण से स्पष्ट है कि विद्यालय स्तर गृहमाता के पद को छोड़कर प्रधानाचार्य का पद , सहायक अध्यापक (एल टी) के सभी 09 पद, सहायक अध्यापक (एच टी सी) के सभी 04 पद, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक का एक-एक पद रिक्त पड़े हुए थे। जिससे स्पष्ट है कि प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों की तैनाती के अभाव में विद्यालय स्तर पर न तो विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षण का कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा सकता था एवं न ही वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक की तैनाती के अभाव में वित्तीय लेखांकन एवं लेखा-अभिलेखों का रख-रखाव ही विधिवत किया जाना संभव था।
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विद्यालय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालित कक्षा 01 से लेकर 10 तक 70 विद्यार्थी पंजीकृत हैं तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्तमान तक विद्यालय में अध्यनरत तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों की भोजन व्यवस्था तथा सामाग्री संपूर्ति पर ₹ 55.72 लाख (भोजन पर ₹42.31 लाख तथा सामाग्री संपूर्ति पर ₹13.41 लाख) की धनराशि व्यय की जा चुकी थी।

उक्त के संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अतिरिक्त प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय स्तर पर विगत वर्षों से शिक्षकों एवं लेखा अनुभाग से संबन्धित लगभग सभी पद रिक्त होने के कारण विद्यालय में अध्यापन कार्य, लेखांकन एवं व्यवस्थापन कार्य अत्यधिक प्रभावित होता आ रहा है।

इस संबंध में विद्यालय स्तर से निदेशालय से समय-समय पर पत्राचार किया गया है।
इकाई के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि विद्यालय स्तर पर स्वीकृत लगभग सभी पद रिक्त होने के कारण एक तरफ तो शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित था तथा दूसरी तरफ लेखांकन तथा लेखा-अभिलेखों का रख-रखाव सुचारु रूप से किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था।

अतः आश्रम पद्यति विद्यालय में भोजन व्यवस्था तथा सामग्री संपूर्ति पर ₹ 55.72 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के बावजूद शिक्षकों के अभाव में शिक्षण कार्य बाधित रहने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

SS1/0295/2018-19

STAN

प्रस्तर-1 बुक्सा/राजी जनजाति का विकास योजना के अंतर्गत विद्यालय में अध्यनरत छात्रों को प्रदान की जाने वाली ₹80,000/-की धनराशि को विद्यालय स्तर पर अवरुद्ध रखा जाना।

इकाई के अंतर्गत बुक्सा/राजी जनजाति का विकास योजना के अंतर्गत विद्यालय में अध्यनरत छात्रों को प्रदान की जाने वाली प्राप्त धनराशि से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत विद्यालय में अध्यनरत 23 राजी छात्रों हेतु वर्ष 2018-19 के माह अक्टूबर में प्रति छात्र ₹500/- प्रतिमाह वर्ष में 10 माह हेतु कुल ₹5000/-प्रति छात्र की दर से ₹ 1,15,000/- की धनराशि निदेशालय स्तर से अवमुक्त की गई थी। उक्त धनराशि को छात्रों एवं अभिभावकों के बैंक खातों में छमाही दो किस्तों में अंतरित किया जाना था तथा दूसरी किस्त को भी फरवरी-2019 तक संबन्धित छात्रों के बैंक खातों में अंतरित कर दिया जाना चाहिए था।

जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि इकाई स्तर पर 14 छात्रों को प्रथम किस्त के रूप में ₹35,000/- की धनराशि ही संबन्धित छात्रों के बैंक खातों में अंतरित की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप इकाई स्तर पर 09 छात्र प्रथम एवं द्वितीय किस्तों एवं 14 छात्र द्वितीय किस्त से लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी-2019) तक वंचित थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई के प्रधानाचार्य (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष छात्रों के बैंक खाते शीघ्र ही खुलवाते हुए उनको प्रदान की जाने वाली धनराशि उनके खाते में अंतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि जिन निर्धन छात्रों को फरवरी 19 में दूसरी किस्त दे दी जानी चाहिए थी उनमे से 09 छात्र प्रथम एवं द्वितीय किस्तों एवं 14 छात्र द्वितीय किस्त से लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी-2019) तक वंचित थे।

अतः बुक्सा/राजी जनजाति का विकास योजना के अंतर्गत विद्यालय में अध्यनरत छात्रों को प्रदान की जाने वाली ` ₹80,000/-की धनराशि को विद्यालय स्तर पर अवरुद्ध रखे जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित पस्तरों का विवरण निम्नवत है:

प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर	भाग-दो (ब) प्रस्तर	प्रतिपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
शून्य			

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल टिप्पणी	अभ्युक्ति

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलुआकोठ, पिथौरागढ़ तथा उनके कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री अजय सिंह कुशवाहा	प्रधानाचार्य	2009-10 से 07/2014तक
2.	श्री जगदीश राय टम्टा	प्रधानाचार्य	08/2014 से 09/2016 तक
3.	परमानंद जोशी	प्रधानाचार्य	10/2016 से 03.12.2016 तक
4.	किशोर कुमार गरसारी	प्रधानाचार्य	04.12.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलुआकोठ, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजकि क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन, कौलगढ़, देहरादून 248195 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)